रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 1970/भाद्र 19, 1892

No. 153] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 1970/BHADRA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September 1970

No. RS.1/3/70-L.—The following order by the President, dated the 9th September, 1970, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

V. V. GIRI,
President."

The 9th September, 1970

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1970

सं० आर० एस० 1/3/70-एस.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 9 सितम्बर, 1970, आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (2) के उपखंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा राज्य सभा का सत्रावसन करता हूं।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति।"

9 सितम्बर, 1970।

बी० एन० बनर्जी, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970